समयबद्ध / महत्वपूर्ण

संख्या- 11 / 2016 / पी-160 / अट्ठीस-9-2016-09(बजट) / 2014

प्रेषक,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 31 मार्च, 2016**

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-2016 में आयोजनागत पक्ष में राज्यांश की धनराशि समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3370 / एफ-32 / यू0पी0आर0आर0डी0ए0 / 2015-16, दिनांक-19.02.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में पीएमजीएसवाई-1 के लिये प्राविधानित धनराशि रू0 15,43,96,00,000.00 (रूपये पन्द्रह अरब, तिरालिस करोड़, छियानबे लाख मात्र) के सापेक्ष पीएमजीएसवाई-1 के संचालन हेतु प्रोग्राम फण्ड में केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रत्याशा में रू0 4,00,00,00,000.00 (रूपये चार अरब मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या-39 / 2015 / पी-766 / 38-9-15-03(बजट) / 2015, दिनांक-09.09.2015 द्वारा निर्गत की गयी थी, जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या-2 / 2016 / पी-125 / 38-9-2016-09(बजट) / 14, दिनांक-05.02.2016 द्वारा रू0 2,50,00,00, 000.00 (रूपये दो अरब पचास करोड़ मात्र) को समायोजित किया गया है, जिसके फलस्वरूप राज्य की अग्रिम की रू0 1,50,00,00,000.00 (रूपये एक अरब पचास करोड़ मात्र) धनराशि अवशेष है।

2- श्री राज्यपाल महोदय पीएमजीएसवाई-1 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-2016 में भारत सरकार के पत्र संख्या-जे0-12036 / 1 / 2015-आर0सी0 (एफ0एम0एस0नं0-341739), दिनांक-18.02.2016 द्वारा पीएमजीएसवाई के फेज-10 (उच्चीकरण-नियमित पीएमजीएसवाई) हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 1,96,00,00,000.00 (रूपये एक अरब छियानबे करोड़ मात्र) के सापेक्ष राज्यांश रू0 1,31,00,00,000.00 (रूपये एक अरब इकतीस करोड़ मात्र) (पूर्णांकित करते हुये) को समायोजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला समायोजन वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के0-100 / रा0-0-के0)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

-2 /

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 द्वारा प्रशासकीय विभागों के प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्या- 11/2016/पी-160 (1)/अड़तीस-9-2016, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक (ग्रामीण संपर्कता), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली।
3- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
7- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।